



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 फाल्गुन, 1946 (श०)

संख्या - 102 राँची, सोमवार,

24 फ़रवरी, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

13 जनवरी, 2025

संख्या-5/आरोप(कोर्ट केस)-5-12/2020 का.-27268 (HRMS)--ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- (N) 2080, दिनांक 02.09.2016 के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, खूँटी के पत्रांक-469/मन०, दिनांक 26.07.2016 द्वारा गठित आरोप पत्र (छायाप्रति संलग्न) में श्रीमती मेरी मड़की, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-273/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अड़की, खूँटी के विरुद्ध मनरेगा योजनान्तर्गत मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना में अनियमितता बरतने, बिना कार्य किये राशि भुगतान कर वित्तीय अनियमितता करने, फर्जी मस्टर रॉल निर्गत करने, अभिलेख सही तरीके से संधारित नहीं करने एवं योजनाओं के पर्यवेक्षण नहीं करने आदि से संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

2. उक्त आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प संख्या- 9899, दिनांक 18.09.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।
 3. जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-30, दिनांक-24.01.2018 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन (छायाप्रति संलग्न) में इनके विरुद्ध आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया ।
 4. विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-460(HRMS), दिनांक 22.01.2020 द्वारा श्रीमती मड़की के विरुद्ध संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया है (छायाप्रति संलग्न) ।
 5. उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्रीमती मड़की द्वारा W.P.(S) No.-2082/2020- Mary Markey Vrs. State of Jharkhand & Ors. दायर किया गया है, जिसमें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 26.09.2024 को आदेश (छायाप्रति संलग्न) पारित किया गया है। उक्त आदेश में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा श्रीमती मड़की के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-460(HRMS), दिनांक 22.01.2020 द्वारा अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दण्डादेश को निरस्त कर दिया गया है एवं संबंधित मामले को विभाग को वापस करते हुए न्यायोदश में अंकित निदेश के अनुरूप Fresh विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निदेश है। पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-
- "----- 8. From the aforesaid facts it is apparent that the petitioner has been found guilty only on the basis of preliminary enquiry report. The findings in the preliminary enquiry report cannot amount to substantive evidence against her. In fact, it is only limited to the extent that prima facie, there were materials to initiate a departmental proceeding.
9. In view of the aforesaid findings and judicial pronouncements, the impugned Memo No. 5/Arop-1-119/2016- 460(HRMS) Ranchi dated 22.01.2020 (Annexure-9) is set aside. The matter is remanded back afresh to the respondent no. 2 Principal Secretary, Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha, Govt. of Jharkhand, Ranchi to initiate fresh departmental proceeding by examining the witnesses and documents to come to any finding whether the petitioner was guilty of the alleged charge. It is however made clear that the departmental proceeding shall be disposed of within period of four month from the date of receipt of this order.

10. This writ application disposed with the aforesaid observation.

11. Pending I.A, if any, stands disposed of."

6. समीक्षोपरांत ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- (N) 2080, दिनांक 02.09.2016 के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, खूँटी के पत्रांक-469/मन०, दिनांक 26.07.2016 द्वारा गठित आरोप पत्र में श्रीमती मेरी मड़की, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-273/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अड़की, खूँटी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की जाँच W.P.(S) No.-2082/2020- Mary Markey Vrs. State of Jharkhand & Ors. में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 26.09.2024 को पारित आदेश में अंकित निदेश के आलोक में करने हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

7. तदनुसार एतद् द्वारा श्रीमती मेरी मड़की को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ ।

8. श्रीमती मेरी मड़की द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री गणेश कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

9. श्रीमती मेरी मड़की के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, खूँटी को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

10. विभागीय कार्यवाही संचालित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्रीमती मेरी मड़की, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-273/20) एवं श्री गणेश कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MARY MARKEY 110001165673	श्रीमती मेरी मड़की, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-273/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अड़की, खूँटी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की जाँच W.P.(S) No.-2082/2020- Mary Markey Vrs. State of Jharkhand & Ors. में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 26.09.2024 को पारित आदेश में अंकित निदेश के आलोक में करने हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के उप सचिव ।

जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
